न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

[illegible] नम्बर 93/2025 — दायर दिनांक–17.04.2025

1. उमेश कुमार पुत्र डूंगाराम
2. सुनिता पुत्री डूंगाराम जाति जाट निवासी मिठारवालों की ढाणी, अम्बेडकर नगर देवीपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3. प्रियंका देवी पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्र वधु डूंगाराम
4. युवराज चौधरी पुत्र महेन्द्र सिंह पौत्र डूंगाराम जाति जाट कुदरती जरिये संरक्षिका माता प्रियंका देवी पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्र वधु डूंगाराम

–वादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री संदीप कुमार सैनी
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : दुरूस्ती रिकॉर्ड व घोषणा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक–27.05.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम अम्बेडकर नगर पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि नया खाता संख्या 173 की भूमि खसरा नम्बर 301 रकबा 1.4400 है0 में वादी संख्या 1 व 2 को 403/1138 हिस्से का तथा वादीगण संख्या 3 व 4 को 29/180 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व ग्राम अम्बेडकर नगर पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 296 रकबा 3.0800 है0, खसरा नम्बर 297 रकबा 3.8600 है0, खसरा नम्बर 298 रकबा 1.2400 है0 भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 को 49/990 हिस्से का तथा वादीगण संख्या 3 व 4 को 49/1980 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपरोक्त वर्णित भूमि में डूंगर सिंह के स्थान पर डूंगाराम व महेन्द्र कुमार पुत्र डूंगर सिंह के स्थान पर महेन्द्र सिंह पुत्र डूंगाराम दुरूस्त किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु उमेश कुमार पुत्र डूंगाराम तथा प्रियंका देवी पत्नी महेन्द्र का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति पहचान पत्र, छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र, छायाप्रति अंकतालिका आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली की अवलोकन पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि मृतक परमेश्वरी देवी, डूंगरसिंह तथा महेन्द्र कुमार का नाम हजफ किया जाकर उनके वारिसानों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:50:10 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम अम्बेडकर नगर पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि नया खाता संख्या 173 की भूमि खसरा नम्बर 301 रकबा 1.4400 है0 में वादी संख्या 1 व 2 को 403/1138 हिस्से का तथा वादीगण संख्या 3 व 4 को 29/180 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, राजस्व ग्राम अम्बेडकर नगर पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 296 रकबा 3.0800 है0, खसरा नम्बर 297 रकबा 3.8600 है0, खसरा नम्बर 298 रकबा 1.2400 है0 भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 को 49/990 हिस्से का तथा वादीगण संख्या 3 व 4 को 49/1980 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतक परमेश्वरी देवी पत्नि डूंगरसिंह तथा महेन्द कुमार पुत्र डूंगरसिंह

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

का नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 27.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:50:10 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं0:– 93 / 2025 (उमेश कुमार आदि बनाम राजस्थान सरकार)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 27.05.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम अम्बेडकर नगर पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि नया खाता संख्या 173 की भूमि खसरा नम्बर 301 रकबा 1.4400 है0 में वादी संख्या 1 व 2 को 403 / 1138 हिस्से का तथा वादीगण संख्या 3 व 4 को 29 / 180 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, राजस्व ग्राम अम्बेडकर नगर पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 296 रकबा 3.0800 है0, खसरा नम्बर 297 रकबा 3.8600 है0, खसरा नम्बर 298 रकबा 1.2400 है0 भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 को 49 / 990 हिस्से का तथा वादीगण संख्या 3 व 4 को 49 / 1980 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतक परमेश्वरी देवी पत्नि डूंगरसिंह तथा महेन्द कुमार पुत्र डूंगरसिंह का नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.05.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:50:10 IST
Reason: SelfAttested